गैरयोजना

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

पत्रांक–4 / नि0गै0यो0छात्र0 181–02 / 2007– 94

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार ,
निदेशक ।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 15.02.17

विषयः **वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना के बजट प्रावधान के अन्तर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों में अस्वच्छ कार्यो में लगे व्यक्तियों के बच्चों को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति मद में कुल ₹ 40.00 लाख (₹ चालीस लाख), प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति मद में ₹ 1300.00 लाख (तेरह करोड़), मुसहर / भुइयाँ जाति के बच्चों के लिए ₹ 240.00 लाख (दो करोड़ चालीस लाख) एवं अनु0 जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति मद में ₹20.00 बीस लाख अर्थात् कुल ₹ 1600.00 लाख (सौलह करोड़) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने पत्रांक–90 दिनांक–13.02.17 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना के बजट प्रावधान के अन्तर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों में अस्वच्छ कार्यो में लगे व्यक्तियों के बच्चों को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति मद में कुल ₹ 40.00 लाख (₹ चालीस लाख), प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति मद में ₹ 1300.00 लाख (तेरह करोड़), मुसहर / भुइयाँ जाति के बच्चों के लिए ₹ 240.00 लाख (दो करोड़ चालीस लाख) एवं अनु0 जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति मद में ₹20.00 (बीस लाख अर्थात् कुल ₹ 1600.00 लाख (सौलह करोड़) मात्र की स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए संलग्न विवरणी–1 के अनुसार सम्पूर्ण स्वीकृत राशि कुल ₹ 1600.00 लाख (सौलह करोड़) मात्र का आवंटित की जाती है।

2– (i) कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2016–17 के गैर योजना **मांग संख्या–44** के अन्तर्गत आय–व्ययक मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–**अनुसूचित जातियों का कल्याण** के निम्नलिखित लधु / उपशीर्ष में भारित होंगेः–

(क) 197–ब्लॉक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–0001–प्रवेशिकोत्तर शिक्षा 3401–छात्रवृत्ति / वजीफा (विपत्र कोड–N2225011970001)

(ख) 197–ब्लॉक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–0002–छात्रवृत्ति / वजीफा –3401 (विपत्र कोड–N2225011970002)

(ग) 198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0001–प्रवेशिकोत्तर–शिक्षा–3401–छात्रवृत्ति / वजीफा (विपत्र कोड–N2225011980001)

(घ) 277–शिक्षा–0007–प्रवेशिकोत्तर शिक्षा–3401–छात्रवृत्ति / वजीफा (विपत्र कोड– N2225012770007)

(ii) कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2016–17 के गैरयोजना **मांग सं0–44** के अन्तर्गत आय–व्ययक मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–02–**अनुसूचित जनजातियों का कल्याण** के निम्नलिखित लधु / उपशीर्ष में भारित होंगेः–

(क) 277–शिक्षा –0001–छात्रवृत्तियां और वृत्तियां– 3401–छात्रवृत्ति / वजीफा (विपत्र कोड–N2225022770001)

3– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होगे एवं नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे। साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण करते हुए त्रुटिरहित छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करेंगे।

5– संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे ।

6– इस योजना के तहत राशि का व्यय पूर्व से निर्गत विभागीय परिपत्रों एवं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दिशा–निदेश के आलोक में विद्यालय छात्रवृति का वितरण किया जायेगा।

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति का भुगतान विभागीय संकल्प संख्या–4061 दिनांक 16.05.2016 के आलोक में बैंक खाता के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जिला स्तरीय छात्रवृति चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में संबंधित संस्थान के बैंक खाते में अनिवार्य शुल्क की राशि एवं संबंधित छात्र/छात्रा के बैंक खाता में अनुरक्षण भत्ता की राशि का अन्तरण RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

प्री–मैट्रिक में जितने छात्रों/छात्राओं की उपस्थिति 75 % एवं उससे ज्यादा हो, उसे पूर्व निर्धारित दर पर छात्रवृति दी जाए। छात्रों/छात्राओं की उपस्थिति की संख्या शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर होगी। जिला कल्याण पदाधिकारी विद्यालय छात्रवृति की राशि की निकासी कर RTGS/NEFT के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी के मांग के आलोक में संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के खाता में राशि का अन्तरण करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के दिशा–निदेश में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी पूर्व में निर्धारित नियमानुसार छात्रवृति का वितरण सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा छात्रवृति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शिक्षा विभाग के निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर छात्रवार संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति से प्राप्त कर जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी उक्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र को नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

7– आवंटित की जा रही राशि के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैरयोजना मद में बजट प्रावधान उपलब्ध है।

8– उन्हीं जिलों के द्वारा राशि व्यय की जायगी जिन्होंने वर्ष 2015–16 का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दिया है।

9– छात्रवृति की राशि बैंक में नही रखा जायगा एवं अवशेष राशि कोषागार में जमा कर दिया जायगा।

10– सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आंवटन की सूचना दी जा रही है।

11– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार) 15/2/17
निदेशक।

ज्ञापांक– 4/नि0गै0यो0छात्र0181–02/2007– 94 पटना, दिनांक– 15.02.17

प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार,वीर चन्द पटेल मार्ग, पटना/ वित्त विभाग, बजट शाखा,, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(3) सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति, कल्याण, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, /सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(4) अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदा0–5,(निदेशालय), सहायक निदेशक , अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग /सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक। 15/2/17

विवरणी—1

वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजनान्तर्गत अनु0जाति / अनु0 जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति, अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मुसहर / भुइयां जाति के बच्चों को प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति मद में आवंटित राशि (रु0 लाख में)

क्रमांक	जिला का नाम	अनु0 जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (277–शिक्षा) कुट सं0– 3401 विपत्र कोड– N 2225012770007	अनु0 जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (277–शिक्षा) कुट सं0– 3401 विपत्र कोड–N 2225022770001	पूरे वर्ष के लिए — मुसहर / भुइयां छात्रवृत्ति: 198– ग्राम पंचायत कुट सं0– 3401 विपत्र कोड–N 2225011980001	पूरे वर्ष के लिए — मुसहर / भुइयां छात्रवृत्ति: 197 ब्लाक पंचायत कुट सं0– 3401 विपत्र कोड– N 2225011970002	पूरे वर्ष के लिए — मुसहर / भुइयां छात्रवृत्ति: 277–शिक्षा– कुट सं0– 3401 विपत्र कोड–N 2225012770007	पूरे वर्ष के लिए — अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति: 197 ब्लाक पंचायत कुट सं0– 3401 विपत्र कोड–N 2225011970001	पूरे वर्ष के लिए — अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों को प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति: 277–शिक्षा– कुट सं0– 3401 विपत्र कोड–N 2225012770007	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	पटना	200.00	1.50	2.00	2.00	20.00	0.95	1.40	227.85
2	नालंदा	40.00		1.00		5.00	0.50	0.91	47.41
3	रोहतास	30.00	3.50	1.00		1.00	0 40	0 85	36 75
4	भभुआ	25.00	2.00	1.00		0.50	0.25	0.55	29 30
5	भोजपुर	30.00	1.00	1.00		2.00	0.35	0.66	35 01
6	बक्सर	30.00		1.00		0.50	0.25	0.38	32.13
7	गया	200.00		12.25	5.00	40.00	0.95	1.97	260 17
8	जहानाबाद	15.00		0.50	1.00	3.00	0.30	0.34	20.14
9	अरवल	3.00		0.50		1.00	0.10	0.21	4.81
10	नवादा	25.00		1.00	0.50	3.00	0 35	0.84	30 69
11	औरंगाबाद	40.00		1.00	0.50	7.00	0.40	0.91	49.81
12	सारण	100.00	2.00	0.50		12.00	0.70	0.75	115.95
13	सिवान	60.00		0.50		1.00	0.30	0.59	62 39
14	गोपालगंज	60.00	2.00	0.50		1.00	0.30	0.51	64 31
15	मुजफ्फरपुर	75.00	1.00	0.50		2.00	0.55	1.14	80.19
16	सीतामढी	6.00		0.50		1.00	0.35	0.61	8.46
17	शिवहर	5.00		0.25		0.50	0.10	0.14	5 99
18	प0 चम्पारण	20.00		1.00		12.00	0.50	0 83	34 33
19	पू0 चम्पारण	20.00		1.00		2.00	0.40	0.98	24 38
20	वैशाली	25.00		0.50		2.00	0.50	1.08	29.08
21	दरभंगा	75.00		1.00		3.00	0.55	0 98	80.53
22	मधुबनी	20.00		1.00		3.00	0.55	0.92	25 47
23	समस्तीपुर	10.00		11.00	3.50	7.00	0.65	1.21	33 36
24	सहरसा	10.00		1.00	0.50	1.50	0.30	0 47	13 77
25	सुपौल	10.00		1.00	0.50	2.50	0 30	0.49	14.79
26	मधेपुरा	15.00		0.50	0.50	2.50	0.30	0 50	19.30
27	पूर्णियां	10.00	2.00	0.50		4.00	0.50	0.60	17 60
28	अररिया	8.00		0.50		1.00	0.30	0.56	10.36
29	किशनगंज	8.00		0.50		1.50	0.30	0.16	10.46
30	कटिहार	10.00	2.00	0.50		3.00	0.30	0.40	16 20
31	भागलपुर	50.00	1.00	1.00		2.50	0.55	0.49	55 54
32	बॉका	5.00	2.00	0.50		1.00	0.20	0.38	9.08
33	मुगेंर	25.00		1.00		2.00	0.25	0.29	28.54
34	लखीसराय	5.00		0.50		1.00	0.25	0.24	6 99
35	शेखपुरा	5.00		0.50		1.00	0.15	0.20	6 85
36	जमुई	10.00		0.50	1.00	2.00	0.25	0.47	14.22
37	खगड़िया	5.00		0.50		13.00	0.25	0.35	19.10
38	बेगुसराय	10.00		0.50		7.00	0.55	0.64	18.69
	कुल योग	***1300.00***	***20.00***	***50.00***	***15.00***	***175.00***	***15.00***	***25.00***	***1600.00***

(सोलह करोड़ रु0)मात्र।

allotment-np-stipend- 11-12

पत्रांक-- 94 दिनांक– 15.02.17 का अनुलग्नक ।

निदेशक